न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या : 06/2009

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ओसियां, जिला जोधपुर		1. गौरी शंकर पुत्र सुखदेव 2. बालकिशन पुत्र गौरीशंकर जाति–ब्राहमण निवासी–शिप हॉउस के पास जोधपुर

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति:– 1. प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित उपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 20.08.2019

प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ओसियां जिला जोधपुर की ओर से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत अप्रार्थी गौरीशंकर पुत्र श्री सुखदेव जाति ब्राह्मण निवासी शिप हाउस के पास, जोधपुर वगैरह के विरूद्ध ग्राम केलावा कलां में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 831 रकबा 0.03 बिस्वा गैर मुमकिन बेरा व खसरा नम्बर 832 रकबा 85 बीघा 16 बिस्वा बारानी प्रथम के नामान्तरकरण संख्या 188 व 989 को निरस्त कर भूमि पुन: मंन्दिर के नाम दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत हुआ है।

उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में रेफरेन्स प्रकरण संख्या 06/2007 अनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ओसियां जिला जोधपुर बनाम गौरीशंकर पुत्र सुखदेव दर्ज होकर निर्णय दिनांक 24.09.2008 में उक्त भूमि सास्वत रूप से मन्दिर की खातेदारी होने पर भी पुजारी द्वारा खसरा नम्बर 831 रकबा 0.02 एवं खसरा नम्बर 832 रकबा 85.16 बीघा में से आधी हिस्से की भूमि का रजिस्टर्ड बेचान सुखदेव पुत्र रामबक्स को अवैध रूप से कर दिया। जिसका नामान्तरकरण संख्या 188 दिनांक 19.09.73 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत कर दिया गया तत्पश्चात् दिनांक 20.08.73 को मंगलदास पुत्र नारायणदास पुजारी व सुखदेव पुत्र रामबक्स पुजारी से करीयत खातेदार ने खसरा नम्बर 831 रकबा 0. 02 गैर मुमकिन बेरा व खसरा नम्बर 832 रकबा 85.16 बीघा को पूरे हिस्से का बेचान अवैध रूप से बालकिशन पुत्र गौरीशंकर को कर दिया जिसका नामान्तरकरण संख्या 189 दिनांक 19.09.73 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। उक्त भूमि डोली बनाम मन्दिर श्री गोपालजी महाराज के नाम होने से पुजारी व पक्षकारान द्वारा किए गए हस्तान्तरण, बंटवाड़ा व स्वीकृत नामान्तरकरण सभी अवैध व प्रभाव शून्य होने से खारिज कराने एवं आधारहीन खातेदार की प्रविष्टि को निरस्त कराने तथा सुखदेव पुत्र रामबक्श के फौत होने पर उनके स्थान पर गौरीशंकर पुत्र सुखदेव के नाम उत्तराधिकार के रूप में नामान्तरकरण संख्या

989 दिनांक 21.10.02 स्वीकृत किया गया जो अवैध होने से नामान्तरकरण संख्या 188 व 989 निरस्त कर उक्त भूमि पुन: डोली बनाम मन्दिर श्री गोपालजी महाराज केलावाकलां के नाम दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाने पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 10.11.2009 में रेफरेन्स आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उक्त रेफरेन्स के निर्णय दिनांक 24.09.2008 को निरस्त कर अप्रार्थीगण को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में नये सिरे से पुन: विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्राप्त होने पर इस न्यायालय में पुन: दर्ज किया जाकर अधिवक्ता पक्षकारान को सुना गया।

प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी ने अपनी बहस में रेफरेन्स में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए ग्राम केलावा कलां में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 831 रकबा 0.03 बिस्वा गैर मुमकिन बेरा व खसरा नम्बर 832 रकबा 85 बीघा 16 बिस्वा बारानी प्रथम के नामान्तरकरण संख्या 188 व 989 को निरस्त कर भूमि पुन: मंन्दिर के नाम दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को पुन: माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाने हेतु निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें बताया गया कि :-

वादग्रस्त भूमि के संबंध में उप-जिलाधीश (जागीर) जोधपुर ने दिनांक 15.6.1970 को यह आदेश पारित किया कि डोली बनाम श्री गोपाल जी दिनांक 1.3.1960 को पुर्नग्रहण हो चुकी है अत: अब वे डोलीदार की बजाय वादी व प्रतिवादी केवल खातेदार रह जाते है जो बटंवाडा चाहते है। भोलाराम व मंगलदास ने वादग्रस्त भूमि के बंटवाडा हेतु दावा सहायक जिलाधीश, फलोदी के यहां प्रस्तुत करने पर उन्होने यह प्रकरण उप-जिलाधीश (जागीर) को प्रेषित करने पर उप-जिलाधीश (जागीर) ने उक्त भूमि मंदिर की नहीं है मानते हुए तथा खातेदार बंटवाडा चाहते हैं इसलिए पत्रावली वापिस फलोदी कोर्ट को प्रेषित की। उप-जिलाधीश (जागीर) जोधपुर ने अपने आदेश दिनांक 15.06.1970 में वादग्रस्त भूमि मंदिर की नहीं मानते हुए भूमि भोलाराम व मंगलदास के खातेदारी की होना माना है।

धारा 82 भू राजस्व अधिनियम के अनुसार कलक्टर अपने अधीनस्थ न्यायालय या अधिकारी द्वारा निर्णित मुकदमों के संबंध में रेफरेंस कर सकता है। जागीर एक्ट के तहत सुनवाई करते समय उप-जिलाधीश (जागीर) जिला कलक्टर का अधीनस्थ अधिकारी या अधीनस्थ न्यायालय नहीं था, इसलिए डिप्टी कलक्टर (जागीर) द्वारा दिये गये आदेश के बाबत जिला कलक्टर या अतिरिक्त जिला कलक्टर को रेफरेंस सुनने का अधिकार नहीं है।

Land reforms and resump.of jagir rules, act 1954 की धारा 45(a) निम्न प्रकार है:-

45(a) who may exercise powers of collector - A deputy Collector (Jagir) or any other officer authorised by the Goverment in his behalf may within his jurisdiction exercise the power of a collector under the Act and these rules.'

उक्त प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि डिप्टी कलक्टर (जागीर) कलक्टर की शक्तियों का उपयोग करता है इसलिए वह जिला कलक्टर व अतिरिक्त जिला कलक्टर का अधीनस्थ अधिकारी नही होकर समानान्तर अधिकारी है ऐसी स्थिति में यह रेंफरेंस प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है।

माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय के पैरा नम्बर 10 में यह निर्णित किया है कि यह रेफरेंस 50 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत किया है, जो मियाद के बिन्दु एवं विधि के अनुसार उचित है या नहीं? इस संबंध मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय किया जा चुका है कि जहां भी मियाद निर्धारित नहीं है, वहां मियाद एक वर्ष की एवं अधिकतम तीन वर्ष की हो सकती है। अतिरिक्त जिला कलक्टर का आदेश वर्ष 1970 का है जिसके पश्चात लगभग 50 वर्ष की अवधि गुजर चुकी है इसलिए यह रेफरेस चलने योग्य नहीं हैं। माननीय राजस्व मण्डल ने आर.आर.टी.2016(1) पेज 288 में यह सिंद्धात प्रतिपादित किया है कि ''राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955-धारा 232 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956-धारा 82-रेफरेंस -सम्वत् 2012 से पूर्व का कब्जा होना निर्णित करते हुए सहायक आयुक्त उपनिवेशन ने भूमि को गैर खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिया और उन्हें गैर खातेदार घोषित किया- आदेश दिनांक 07.10.1985 के विरूद्ध अपील पेश नहीं की लगभग 18 वर्ष बाद रेफरेंस किया-रेफरेंस के लिए परिसीमा प्रदत्त नहीं है, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है कि किसी भी समय शक्ति का उपयोग किया जा सकता है- निर्णीत, दीर्घ विलम्ब के बाद पेश करने से रेफरेंस खारिज होने येाग्य है।

माननीय राजस्व मण्डल ने उक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के अन्य निर्णयों का भी उल्लेख किया है। 2010 (1) आर. आर.टी.(1) पेज 557 में 19 वर्ष की अवधि के पश्चात प्रस्तुत किये गये रेफरेंस को भी राजस्व मण्डल ने उचित एवं न्यायसंगत नहीं माना है। इस प्रकार यह जो रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह स्पष्ट रूप से मियाद बाहर व देरिना है, इसलिए भी चलने योग्य नहीं है।

इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने 2016(1) आर.आर.टी.651 मे यह निर्णित किया है कि ''राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 -धारा 82 रेफरेस-25 वर्ष बाद आवंटन निरस्त कराना चाहा- औचित्यता- परिसीमा विहित नहीं है -25 वर्ष का अयुक्तियुक्त विलम्ब-निर्णीत रेफरेंस खारिज होने योग्य है।

सहायक जिलाधीश फलौदी, जिला जोधपुर ने भोलाराम बनाम मंगलदास वाद संख्या 18/1966, निर्णय दिनांक 15.03.1971 में भोलाराम व मंगलदास को खातेदार मानते हुए बंटवाडे की डिक्री पारित की है, जिसका म्युटेशन संख्या 175 दिनांक 20.06.1972 को स्वीकृत हुआ। अप्रार्थी बालकिशन ने मंगलदास व गोपालदास से दिनांक 20.08.1973 को भूमि रजिस्टर्ड बेचान से खरीद की है तथा भोलाराम से अप्रार्थी गौरीशंकर के पिता सुखदेव ने भूमि दिनांक 21.04.1973 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान से खरीद की है जिसका म्युटेशन संख्या 188 तहसीलदार ओसियां द्वारा दिनांक 19.09.1973 को स्वीकृत किया गया। इस प्रकार सहायक जिलाधीश ने अपने उक्त निर्णय में भोलाराम व मंगलदास को खातेदार मान लिया, इसलिए भी यह रेंफरेंस प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के विरूद्ध रेफरेंस नही भेजा जा सकता है क्योंकि डिक्री अपीलेबल होती है एवं डिक्री की अपील करना आवश्यक होता है चूंकि इस प्रकरण में उप-जिलाधीश ने वाद संख्या 18/1966,निर्णय दिनांक 15.03.1971 में भोलाराम व मंगलदास को खातेदार मानते हुए बंटवाडे की डिक्री पारित की है, इसलिए रेफरेंस प्रस्तुत नहीं हो सकता है।

उपरोक्त स्थिति के बाबजूद भी तहसीलदार ने वादग्रस्त भूमि के बाबत जमाबंदी में डोली का नोट अंकित कर दिया। उस डोली के नोट को हटाने के लिए बालकिशन व गौरीशंकर ने एक वाद संहायक जिलाधीश मुख्यालय जोधपुर में प्रस्तुत किया जो वाद संख्या 81/1997 का निर्णय व डिक्री दिनांक 28.07.2001 को पारित की गई जिसमें

न्यायालय ने यह निर्णित किया कि बालकिशन, गौरीशंकर वादग्रस्त भूमि के खातेदार है, जिस बाबत समय-समय पर निर्णय पारित हुए है। ऐसी स्थिती में जो मिसल बंदोबस्त में डोली का नोट लगाया गया है वह हटाये जाने योग्य है एवं जमाबंदी में से डोली का नोट हटाने का निर्णय पारित किया व वादीगण का वाद डिक्री किया।

इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय आर.आर.टी.2016(1) पेज 387 निम्न प्रकार है:-

''राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 82 -रेफरेंस सहायक कलक्टर द्वारा डिक्री पारित की गई और वादी को आ.न. 515 का खातेदार होना घोषित किया-रेफरेंस के अंतर्गत न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की वैधता की जांच नहीं की जा सकती- निर्णित, रेफरेंस खारिज होने योग्य है।

अप्रार्थीगण व पूर्व खातेदार ग्राम केलावा कला के खसरा नम्बर 831 व 832 की भूमि पर पिछले लगभग 100 वर्षो से भी अधिक समय से काबिज है व भूमि को उपयोग-उपभोग में ले रहे हैं तथा समय-समय पर भूमि को उपजाउ व विकसित किया है। जिस बाबत किसी प्रकार का रेफरेंस उचित व न्यायसंगत नहीं है। अत: अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी तहसीलदार ओसियां द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल व चलने योग्य नहीं होने तथा मियाद बाहर होने के कारण खारिज किया जाने का निवेदन किया गया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने व गहनता से अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में उप-जिलाधीश (जागीर) जोधपुर ने दिनांक 22.5.1970 को यह आदेश पारित किया कि डोली बनाम श्री गोपाल जी दिनांक 1.3.1960 को पुर्नग्रहण हो चुकी है अत: अब वे डोलीदार की बजाय वादी व प्रतिवादी केवल खातेदार रह जाते है जो बटंवाडा चाहते है। भोलाराम व मंगलदास ने वादग्रस्त भूमि के बंटवाडा हेतु सहायक जिलाधीश, फलोदी के यहां दावा प्रस्तुत करने पर उन्होने यह प्रकरण उप-जिलाधीश (जागीर) को प्रेषित किया। उप-जिलाधीश (जागीर) ने उक्त भूमि मंदिर की नहीं मानते हुए तथा खातेदार बंटवाडा चाहते हैं इसलिए पत्रावली वापिस फलोदी कोर्ट को प्रेषित की। उप-जिलाधीश (जागीर) जोधपुर ने अपने आदेश दिनांक 22.05.1970 में वादग्रस्त भूमि मंदिर की नहीं मानते हुए भूमि भोलाराम व मंगलदास के खातेदारी की मानी है। सहायक जिलाधीश फलौदी, जिला जोधपुर ने भोलाराम बनाम मंगलदास वाद संख्या 18/1966, निर्णय दिनांक 15.03.1971 में भोलाराम व मंगलदास को खातेदार मानते हुए बंटवाडे की डिक्री पारित की, जिसका म्युटेशन संख्या 175 दिनांक 20.06.1972 को स्वीकृत हुआ। अप्रार्थी बालकिशन ने मंगलदास व गोपालदास से दिनांक 20.08.1973 को भूमि रजिस्टर्ड बेचान से खरीद की तथा भोलाराम से अप्रार्थी गौरीशंकर के पिता सुखदेव ने भूमि दिनांक 21.04.1973 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान से खरीद की जिसका म्युटेशन संख्या 188 तहसीलदार ओसियां द्वारा दिनांक 19.09.1973 को स्वीकृत किया गया। सहायक जिलाधीश फलोदी द्वारा अपने उक्त निर्णय में भोलाराम व मंगलदास को खातेदार मान लेने के बावजूद तहसीलदार ने वादग्रस्त भूमि का जमाबंदी में डोली का नोट अंकित कर दिया। उस डोली के नोट को हटाने के लिए बालकिशन व गौरीशंकर ने एक वाद सहायक जिलाधीश मुख्यालय जोधपुर में प्रस्तुत किया जो वाद संख्या 81/1997 का निर्णय व डिक्री दिनांक 28.07.2001 को पारित की गई जिसमें न्यायालय ने यह निर्णित किया कि बालकिशन, गौरीशंकर वादग्रस्त भूमि के

खातेदार होने से मिसल बंदोबस्त में डोली का नोट लगाया गया है वह हटाये जाने योग्य है एवं जमाबंदी में से डोली का नोट हटाने का निर्णय पारित किया व वादीगण का वाद डिक्री किया।

उप-जिलाधीश (जागीर) जोधपुर जागीर एक्ट के तहत सुनवाई करते समय जिला कलक्टर जोधपुर के अधीनस्थ अधिकारी या अधीनस्थ न्यायालय नहीं थे। उप-जिलाधीश (जागीर) जोधपुर के निर्णय दिनांक 22.05.1970 के अनुक्रम में सहायक जिलाधीश फलौदी द्वारा निर्णय दिनांक 15.03.1971 में भोलाराम व मंगलदास को खातेदार मानते हुए बंटवाड़े की डिक्री पारित की। किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील की जा सकती है, रेफरेन्स नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार ओसियां को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर